विजयंदर कुमार और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और एक अन्य

11 फरवरी, 2014

[मुख्य न्यायमूर्ति पी0 सथशिवम, न्यायमूर्तिगण रंजन गोगोई और शिव कीर्ति सिंह]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482 – अपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति – धारा 420 और 120 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की प्राथमिकी दर्ज काराई गई – पुलिस द्वारा य.ह कहते हुये कि बाद मामला दीवानी प्रकृति का है अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी – मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत की गयी और संज्ञान लिया गया – उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया गया – निर्णीत तथ्यों के एक सैट से दीवानी दोष के साथ–साथ अपराधिक अपराध भी हो सकता है और सूचनाकर्ता या परिवादी को केवल इस आधार पर उपचार दिये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता कि दीवानी उपचार उपलब्ध है और यह अपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है – वास्तविक खोज यह है कि परिवाद में लगाये गये आरोपों से कोई अपराधिक अपराध प्रकट हो रहा है अथवा नहीं – जहाँ परिवादी और साक्षियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों का समर्थन किया गया है वहां यह उचित नहीं है कि न्यायालय अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न दस्तावेज का मुल्यांकन गुण दोष के आधार पर करे – इस स्तर पर अपीलार्थी के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है।

धारा 420 व 120बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधियों के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस स्टेशन पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई और एक लिखित रिपोर्ट पर एक एस.एस. अभिलिखित करते हुए रेस्पोंडेंट विपक्षी संख्या 2 द्वारा यह कथन किया गया कि वह अपीलार्थी सूती धागा का एक सप्लायर है तथा अपीलार्थी कंपनी पर कुछ धनराशि बकाया है जो कि अपीलार्थी द्वारा उसकी जानकारी के बिना प्रबंधन को अंतरित की गई थी। परिसंपत्तियों व देनदारियां (एस.एस.) जो निर्देशकों में से एक था अपीलार्थी के भरोसे पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा कुछ पोस्ट डेटेड चेक (एस.एस.) से प्राप्त किये जो कि इस पृष्ठांकन के साथ अनादृत हुए कि एस.एस. द्वारा उक्त चेकों का भुगतान रोका गया है। यह कि सभी अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र के तहत उसके साथ धोखाधड़ी की गई और झूठ बोलकर छल किया गया और कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित किया गया। अपीलार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने का आवेदन निरस्त किया गया। पुलिस द्वारा यह कहते हुए कि मामला सिविल प्रकृति का है अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई जोकि संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा अस्वीकृत की गई और संज्ञान लिया गया। यह याचिका अंतर्गत धारा 482 उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही रद्द किए जाने के विरुद्ध आयोजित की गई है।

याचिका निरस्त करते हुये न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि,

1.1 तथ्यों के एक सेट से दीवानी दोष के साथ–साथ अपराधिक अपराध भी बन सकता है और केवल इस आधार पर की सूचनादाता/परिवादी को दीवानी उपचार उपलब्ध है आपराधिक कार्यवाहियों को विखंडित करने का आधार नहीं हो सकता है। वास्तविक कसौटी यह है कि परिवाद में लगाये गए आरोपों से कोई अपराधिक अपराध बन रहा है अथवा नहीं। [पैरा 12] [1020–बी–सी]

रवींद्र कुमार मधनलाल गोईंका व और एक अन्य बनाम रुम्मिनी राम राघव स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड **2009 (6) एस.सी.आर. 27 = 2009 (11) एस.सी.सी. 529 – निर्भर किया गया।**

विजेन्द्र कुमार व एक अन्य **1999 क्रिमिनल लॉ जनलर सी.एल.जे. 1849 – निद्रिष्ट किया गया।**

1.2 जहां सूचनाकर्ता और साक्षियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया गया है वहां न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर मामले का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करें। ऐसी सामग्रियों को अपीलकर्ता या अपीलार्थी अपने बचाव में उचित स्तर पर उचित रूप से विचार में लिए जाने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। [पैरा 11] [1019–एच;1020 – ए–बी]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व अवसर पर अपीलार्थी द्वारा इस वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किए जाने की मांग को वरीयता देते हुए उचित रूप से जांच की गई। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने के विरूद्ध की गई अपील में हस्तक्षेप न करने के विचार को उच्च न्यायालय द्वारा पुनः इस अपील में दोहराया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध इस स्तर पर लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किए जाने का कोई अच्छा आधार नहीं है। [पैरा 13] [1020–डी–एफ]

थरमैक्स लिमिटेड व अन्य बनाम के.एम. जानी और अन्य 2011 (14) एस.सी.आर. 154 = 2011 (13) एस.सी.सी. 412; दलीप कौर व अन्य बनाम जगनार सिंह व एक अन्य 2009 (10) एस.सी.आर. 264 = 2009 (14) एस.सी.सी. 696; अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2005) 10 एस.सी.सी. 228; और आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता 2008 (14) एस.सी. आर. 1249 = 2009 (1) एस.सी.सी. 516; देवेंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य 2009 (7) एस.सी.आर. 872 = 2009 (7) एस.सी.सी. 495 – उद्धृत।

संदर्भित विधि व्यवस्थायेंः

1999 आपराधिक कानून जर्नल 1849	संदर्भित किया गया है	पैरा 4
2011 (14) एससीआर 154	उद्धृत किया गया	पैरा 8
2009 (10) एससीआर 264	उद्धृत किया गया	पैरा 8
2008 (14) एससीआर 1249	उद्धृत किया गया	पैरा 8
2009 (7) एससीआर 872	उद्धृत किया गया	पैरा 9
2009 (6) एससीआर 27	उस पर भरोसा जाये	पैरा 12

आपराधिक अपीलीय निर्णयनः आपराधिक अपील सं. 1297/2014।

आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 433/2000 में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित एस.बी. द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 19.03.2004 से।

निदेश गुप्ता, जे.सी. गुप्ता, एस.एस. शमशेरी, ए.ए.जी., राजेश श्रीवास्तव, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुरेश कुमारी, तुषार बख्शी, नरेश बख्शी, धर्म सिंह, भारत सूद, वरुण पुनिया, संदीप सिंह, रितेश प्रकाश यादव, प्रगति नीखरा उपस्थित पक्षों के लिये।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

शिवा कीर्ति सिंह, जे. 1. अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका राजस्थान के जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की याचिका अन्तर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्त में सी.आर. पी.सी.) को निरस्त किये जाने के विरूद्ध की गयी है। उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा केस नं0–63/2000 में पारित आदेश दिनांकित 22.05.2000 द्वारा धारा 420 सहपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत निर्णय लिये जाने के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने से इंकार किया गया है।

2. प्रतिवादी नंबर 2, सुरेंद्र सिंघला ने 28.04.1998 को अपीलकर्ताओं के साथ–साथ सतीश सिंघला के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कराया। लिखित रिपोर्ट में दिए गए कथनों और आरोपों के अनुसार, सूचक फर्म मेसर्स का भागीदार है। राजश्री कॉटन कॉर्पोरेशन, श्रीगंगानगर, कपास की खरीद–फरोख्त में ब्रोकर के साथ–साथ डीलर के रूप में भी काम करता है। अपीलकर्ता मेसर्स के निदेशक हैं। आर.पी. टैक्सफैब लिमिटेड, मोदीनगर, जिन्होंने समय–समय पर सूचनाकर्ता फर्म के माध्यम से कपास की खरीद की। खातों के अनुसार, सूचना देने वाली फर्म को 47,28,115.80/– रुपये की राशि प्राप्त होनी थी। आरोपी व्यक्तियों ने सूचनाकर्ता को विश्वास में लिए बिना, मेसर्स के

प्रबंधन, संपत्ति और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए एक समझौता किया। आरोपी सतीश सिंघला और दो अन्य जो नए निदेशक बने, के पक्ष में आर.पी. टैक्सफैब लिमिटेड। कंपनी का प्रबंधन 24.02.1998 को स्थानांतरित कर दिया गया था और 27.02.1998 को अपीलकर्ताओं द्वारा सूचनाकर्ता को बुलाया गया था और बताया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान नए निदेशकों द्वारा किया जाएगा। सूचनाकर्ता इस बात से सहमत नहीं था. अगली तारीख पर, अपीलकर्ताओं को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 10,00,000/– (दस लाख रूपये) और 13,26,560/– रूपये मूल्य का सूती धागा बकाया का आंशिक भुगतान के रूप में लोटाया गया और शेष बकाया के लिए उन्होंने सूचनाकर्ता को नए निदेशक सतीश सिंघला द्वारा जारी किए गए चार पोस्ट–डेटेड चेक स्वीकार करने के लिए राजी किया। आरोपी व्यक्तियों द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि नियत तिथि पर चेक प्रस्तुत किए जाने पर चेक की धनराशि का भुगतान हो जायेगा, सूचनाकर्ता ने चेक स्वीकार कर लिए। इस तरह के अनुनय और विश्वास पर, सूचनाकर्ता ने कुछ टाइप किए गए कागजात पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दिखाया गया कि वह कंपनी के नए निदेशकों से शेष राशि प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया था और अपीलकर्ताओं से ड्राफ्ट और सामान प्राप्त कर लिया था।

3. लिखित सूचना में उपरोक्त आरोपों और कथनों के अलावा, सूचनाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने उक्त कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए और न ही पोस्ट–डेटेड चेक प्राप्त किए अपितु दो साक्षियों की उपस्थिति में अभियुक्तों द्वारा भुगतान का आश्वासन दिया गया था। आगे यह भी आरोप है कि जब सूचनाकर्ता ने अपने बैंक में रु. 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) की राशि का चेक दिनांक 25.03.1998 को प्रस्तुत किया, तो उक्त चेक अनादृत हो गया क्योंकि आरोपी सतीश सिंघला को चेक का भुगतान रोक दिया था और कहा कि सभी आरोपियों ने आपसी सहमति (साजिश) से धोखाधड़ी की है और झूठा बयान देकर और झूठा आश्वासन देकर उसे धोखा दिया है, जिससे उन्होंने उसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। कथित तौर पर, आरोपियों को चेक जारी करने से पहले ही पूरी जानकारी थी कि इनका भुगतान नहीं किया जाएगा और उनका शुरू से ही आशय बेईमानीपूर्ण था।

4. यह विवाद में नहीं है कि जब चेक बाउंस हुआ, तो प्रतिवादी नंबर 2 ने कानूनी नोटिस दिया और 28.4.1998 को वर्तमान एफआईआर दर्ज करने के अलावा, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अलग परिवाद दर्ज कराया। परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ दायर शिकायत को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उन्होंने विवादित चेक जारी नहीं किए थे। अपीलकर्ताओं की दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत पूर्व याचिका अपीलार्थी द्वारा 482 दं.प्र.सं. के माध्यम से एफ.आई.आर. को रद्द करने हेतु दायर पूर्व याचिका क्रिमिनल मिसलेनियस पैटिंशन संख्या 466/1998 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.1999 को खारिज कर दी गयी, जिसकी रिपोर्ट 1999 आपराधिक कानून जर्नल 1849 (विजयंदर कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में दी गई है। उस निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर में दिए गए कथनों और आरोपों पर विस्तार से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोपों और उपस्थित परिस्थितियों को देखते हुए, उस स्तर पर यह मानना संभव नहीं था कि अपीलकर्ता किसी अपराध को किये जाने हेतु उत्तरदायी नहीं हो। उच्च न्यायालय ने माना कि यह जांच के लायक मामला है।

5. इसके बाद, पुलिस ने जांच पूरी की और इस आशय की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मामला दीवानी प्रकृति का है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 22.05.2000 द्वारा सभी पांच आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 पठित धारा 120–बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया।

6. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी गयी जोकि उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत खारिज कर दी गयी।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कुछ पत्रों और संचारों जैसे अनुलग्नक पी.1 और पी.2 दोनों दिनांक 27.02.1998 और अनुलग्नक पी.10 दिनांक

24.02.1998 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रबंधन में बदलाव को सूचनाकर्ता के ध्यान में इस सूचना के साथ लाया गया था कि 23,00,000/– रुपये (तेईस लाख रुपये) की देनदारी नए प्रबंधन को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसे वे भुगतान करेंगे और उसके बाद, 27.02.1998 को सूचनाकर्ता ने अपीलकर्ताओं से भुगतान प्राप्त किया और साथ ही 27.02.1998 को पोस्ट–डेटेड चेक भी स्वीकार कर लिया। उस आधार पर यह तर्क दिया गया है कि एफआईआर में गलत बातें और आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ताओं का यह भी मामला है कि आरोप और कथन कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाते हैं।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से इस न्यायालय के निर्णय थरमैक्स लिमिटेड व अन्य बनाम के.एम.जोनी व अन्य (2011) 13 एस.एस.सी. 412 और दलीप कौर और अन्य बनाम जगनार सिंह और अन्य (2009) 14 एस.सी.सी. 696 पर विश्वास किया गया है। अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2005) 10 एस.एस.सी. 228 के मामले में निर्धारित कानूनी प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है, जिसकी चर्चा थर्मोक्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में पैराग्राफ 31 में की गई है कि यदि शिकायत केवल दीवानी विवाद के एक साधारण मामले का खुलासा करती है यदि पार्टियों के बीच धोखाधड़ी का मामला बनाने के लिए अपेक्षित साक्ष्य का पूर्ण अभाव है, तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। दलीप कौर (सुप्रा) के मामले में भी ऐसा ही कानून देखा गया है। इस मामले में पैराग्राफ 10 में देखे गए प्रासंगिक मुद्दों पर विचार न करने के कारण मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया गया था, लेकिन आर.कल्याणी बनाम जनक सी.मेहता (2009) 1 एस.एस.सी. 516 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए पैराग्राफ 11 में कानून को और स्पष्ट किया गया था। निर्णय के पैराग्राफ 11 का सार प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

> "11.इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी करेगा जब आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता में निर्धारित कानून के एक या अन्य प्रस्ताव आकर्षित होंगे, जो इस प्रकार हैं:
>
> "(1) उच्च न्यायालय आम तौर पर किसी आपराधिक कार्यवाही और विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि उसमें निहित आरोपों, भले ही अंकित मूल्य दिया गया हो और पूरी तरह से सही माना गया हो, संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया हो।
>
> (2) उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए किसी भी दस्तावेज़ पर निर्भर नहीं करेगा।
>
> (3) ऐसी शक्ति का प्रयोग बहुत संयमित ढंग से किया जाना चाहिए। यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं, तो अदालत उससे आगे नहीं बढ़ेगी और आरोपी के पक्ष में किसी भी आपराधिक मनःस्थिति या एक्टस रीस की अनुपस्थिति का आदेश पारित करेगी।
>
> (4) यदि आरोप एक दीवानी विवाद का खुलासा करता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी देवेन्द्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2009) 7 एस.एस. सी. 495 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, केवल यह उजागर करने के लिए कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक दूसरी याचिका दायर की गई थी। इस पर विचार किया जा सकता है क्योंकि मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने का आदेश कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देता है। इस मुद्दे पर किसी भी विचार–विमर्श की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील सूचनाकर्ता धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत याचिका की विचारणीयता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलील के विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने कहा है कि अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलील में कोई दम नहीं है क्योंकि एफ.आई.आर. केवल एक सिविल मामले का खुलासा करती है एवं आरोप तथा कथन किसी आपराधिक अपराध का गठन नहीं करते। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1849 में रिपोर्ट किए गए इस मामले के तथ्यों में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफ.आई.आर. में कथनों और आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय के विचार एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना के संदर्भ में थे, लेकिन इस मामले के तथ्यों में वे निष्कर्ष और टिप्पणियां अभी भी प्रासंगिक हैं और वे अपीलकर्ताओं की ओर से तर्कों का समर्थन नहीं करते। वर्तमान चरण में जब सूचनाकर्ता और गवाहों ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है, तो इस अदालत के लिए अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आरोपों की गुण दोष पर मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। ऐसी सामग्री अपीलकर्ताओं द्वारा उचित स्तर पर उचित विचार के लिए कानून के अनुसार अपने बचाव में प्रस्तुत की जा सकती है।

12. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यह तर्क देने में सही हैं कि तथ्यों का एक सेट एक दीवानी दोष के साथ–साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि सूचनार्थी/शिकायतकर्ता को एक दीवानी उपचार भी उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं इसका आधार नहीं हो सकता है कि एक आपराधिक कार्यवाही रद्द करें। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। यह कथन इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा समर्थित है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रवींद्र कुमार मदनलाल गोयनका और अन्य बनाम रुग्मिनी राम राघव स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड (2009) 11 एस.एस.सी. 529 के मामले में फैसले के पैराग्राफ 16 में उल्लेख किया गया है।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह पाया गया कि इस मामले की एफआईआर को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका की जांच करते समय उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी तथ्यों पर उचित रूप से ध्यान दिया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान के आदेश में हस्तक्षेप न करने की अपील के तहत आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया है। इसलिए, हमें इस स्तर पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है। अत: अपील खारिज की जाती है। कोई वाद व्यय नहीं है।

14. हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस आदेश में या अपील के तहत आदेश में टिप्पणियाँ केवल वर्तमान चरण में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए हैं और कार्यवाही के बाद के चरण में अपीलकर्ताओं की प्रतिरक्षा को प्रभावित नहीं करेंगी।

अपील खारिज की गई।

(अलका भारती)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–12, मुजफ्फरनगर।